

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोहर (आर०ए०ए०)

वाद सं० : 134 सन 2020

अनवान :-

1. देवीलाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अर्जनराम पुत्र चुन्नीराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
2. बनवाशीलाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
3. टिकुराम पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
4. धर्मपाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
5. रामेती पत्नी रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
6. सतीश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
7. इन्द्रपाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25/9/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या रातुसर के खाता संख्या 6/6 की कुल 1.2900हेक् एवं रोही मौजा खरसण्डीके खाता संख्या 8/6 की कुल 3.1620हेक् व रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 12/10 की कुल 1.8340हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चुन्नीराम वल्द विमनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चुन्नीराम वल्द विमनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चुन्नीराम वल्द विमनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व रामचन्द्र के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता चुन्नीराम वल्द विमनाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व अर्जनराम के मृतक पुत्र रामचन्द्र के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों को सम्बन्ध में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसाल किया एवं प्रतिवादी संख्या ४ के द्वारा रोही ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसाल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की अधिवक्ता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना सपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की वकस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी वकस में अपने दाद में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या रातुसर के खाता संख्या ४/४ की कुल 1.2900हेक् एवं रोही मौजा खरसणडीके खाता संख्या ४/४ की कुल 31820हेक् व रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 12/10 की कुल 1.8340हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चुन्नीराम वल्द चिमनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चुन्नीराम वल्द चिमनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता के नाम से दर्ज है वादी के दादा चुन्नीराम वल्द चिमनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व रामचन्द्र के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आरबी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी के 1988 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार कारतकार आपसी सहमति / सजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद खिर्की फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की वकस सुनी पत्रावली का अफ्लोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या रातुसर के खाता संख्या ४/४ की कुल 1.2900हेक् एवं रोही मौजा खरसणडीके खाता संख्या ४/४ की कुल 31820हेक् व रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 12/10 की कुल 1.8340हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 मु0प्रवन्ध विभाग सम्वत 2012 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वाद भूमि चुन्नीराम वल्द चिमनाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चुन्नीराम वल्द चिमनाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा चुन्नीराम वल्द चिमनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना सावित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा ४, ४ के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते / पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है

उपरोक्त अधिकारी
बोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुक्त एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सयुक्त एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या रातुसर के खाता संख्या 6/6 की कुल 1.2900हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा खरसण्डीके खाता संख्या 8/6 की कुल 3.1620हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिव 3/5 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेंगे रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 12/10 की कुल 1.8340हैक् में वादी अकेला 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिव 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेंगे व रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 99/172 की 10.12हैक् में से 3.03 बीघा व खाता संख्या 100/93 की 5.0600हैक् में से 33 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 74/115 की 1.2650हैक् में से 0.08 विश्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नामयथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाव्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/09/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमालगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जादा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. देवीलाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 अर्जनराम पुत्र चुन्नीराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 2 बनवारीलाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 3 टिकुराम पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 4 धर्मपाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 5 रामेती पत्नी रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 6 सतीश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 7 इन्द्रपाल पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
- 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 134 सन 2020 निर्णय दिनांक-25/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रातुसर के खाता संख्या रातुसर के खाता संख्या 6/6 की कुल 1.2900 हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिव के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं रोही मौजा खरसण्डीके खाता संख्या 8/6 की कुल 3.1620 हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिव 3/5 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगे रोही मौजा जवरासर के खाता संख्या 12/10 की कुल 1.8340 हैक में वादी अकेला 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिव 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार रहेगे व रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 99/172 की 10.12 हैक में से 3.03 बीघा व खाता संख्या 100/93 की 5.0600 हैक में से 33 हिस्सा व रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 74/115 की 1.2650 हैक में से 0.08 विश्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नामयथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)